न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 24 / 2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 / 120

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी नागौर।		श्री पृथ्वीराज चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल चौधरी निवासी गुढा तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी की ओर से स्वयं पृथ्वीराज

–:आदेश:– **दिनांकः 21.05.2024**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी नागोर द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

सम्पर्क पोर्टल पर घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित प्राप्त शिकायत के आधार जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेशानुसार मेरे द्वारा दिनांक 03.04.2023 को ग्राम गुढा में श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री भंवरलाल चौधरी के आवास पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान मेरे साथ मंगलाना पुलिस चौकी पुलिस जाब्ता श्री लक्ष्मणराम व श्री प्रकाशराम साथ थे। मौके पर मकान के मालिक श्री पृथ्वीराज उपस्थित मिले। मौके पर पृथ्वीराज के घर पर अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के द्वारा अवैध गैस भरने का कार्य किया जाता है। वक्त जांच मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर व एक मोटर पाई गई। श्री पृथ्वीराज से घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री पृथ्वीराज द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवास में भण्डारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:44 IST
Reason: SelfAttested

21/5/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

3 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 1 रिफिलिंग मोटर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम कम्पनी	एस. आर. नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	845919	0.4 किग्रा
2.	इण्डेन	125315	3.9 किग्रा
3.	अन्य	001871	0 किग्रा
4.	गैस भरने की मोटर		

उपरोक्त 3 गैस सिलेण्डरों एवं 1 रिफिलिंग मोटर को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स गिरधर गैस सर्विस मकराना के प्रतिनिधि श्री विक्रमसिंह की सुपूर्दगी दिये गये है।

इस प्रकार श्री पृथ्वीराज का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 3 गैस सिलेण्डर मय गैस एवं 1 रिफिलिंग मोटर को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ स्वयं के गैस कनेक्शन संख्या 02837 की डायरी की व अपनी पत्नी के गैस कनेक्शन संख्या 02880 की डायरी की प्रति पेश की तथा निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा बवैध गैस कनेक्शन नहीं लिया हैं ना ही गैस सिलेण्डर भरने का व्यवसाय करता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रवर्तन निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी पृथ्वीराज के घर पर अवैध घरेलु गैस सिलेण्डर के द्वारा अन्य गैस सिलेण्डर में गैस भरने का सामान मिला जिससे प्रतीत होता हैं कि अप्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा अवैध गैस भरने का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी पृथ्वीराज के घर से 03 घरेलु गैस सिलेण्डर व एक मोटर जप्त की गई। परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा इस [illegible] में किसी [illegible] साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये। यह तथ्य कहीं जिक्र नहीं [illegible] है [illegible] न ही अपने पंचनामें व निरीक्षण रिपोर्ट में रिफलिंग किया जाना अथवा रिफ[illegible] हुआ सिलेण्डर प्रमाणित किया है।

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:44 IST
Reason: SelfAttested

21/5/24
जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी पृथ्वीराज ने न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश किये। जिसमें से एक स्वयं के गैस डायरी की प्रति जिसके उपभोक्ता क्रमांक 02837 व एक अपनी पत्नी के नाम गैस डायरी की प्रति जिसके उपभोक्ता क्रमांक 02880 पेश की।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित है कि जब्त किये गये सिलेण्डर वैध दस्तावेजों के आधार पर लिये गये थे। अवैध रिफलिंग का होना नहीं पाया गया तथा न ही प्रमाणित है। अतः प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **21.05.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

21/5/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.05.23 10:09:44 IST
Reason: SelfAttested